बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

आदेश

विषय : कर्त्तव्यरत कर्मी का लम्बी अवधि तक वेतन धारित नहीं करने एवं अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत करने में विलम्ब नहीं करने के सम्बन्ध में।

किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण होने के उपरांत प्रभार सौंपने में विलम्ब के कारण अथवा दिए गए निर्देशों के सामयिक अनुपालन नहीं करने के कारण कई बार वेतन धारित किया जाता है अथवा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत नहीं किया जाता है। समीक्षा के दौरान पाया गया है कि कई बार यह अवधि कई महीनों या वर्षों तक चली जाती है जिसमें कर्मी बिना वेतन कार्य कर रहा होता है। इससे एक तरफ वांछित कार्यवाही लम्बित ही रह जाती है तो दूसरी तरफ पदस्थापन/नव–पदस्थापन जिला/इकाई में वेतन की निकासी नहीं हो पाती है जबकि संबंधित कर्मी अपने निर्धारित पदस्थापन स्थल पर लगातार कर्त्तव्य पर उपस्थित भी रहता है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी कर्मी का वेतन लम्बी अवधि तक रोकना कर्मी की आर्थिक कठिनाई को बढ़ावा देता है, जो उस अवैध कार्यों में भी संलिप्त होने के लिए मजबूर कर सकता है। अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र इस आशय का उल्लेख करते हुए भी निर्गत किया जा सकता है कि संबंधित कर्मी द्वारा प्रभार सौंपा जाना शेष है अथवा इस कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण–पत्र लम्बित है। इससे संबंधित कर्मी के विरूद्ध स्पष्ट कारणों के साथ लम्बित प्रभार आदि का मामला अभिलेख पर रहेगा। साथ ही दिए निर्देश के अनुपालन में विलम्ब अथवा प्रभार सौंपने आदि में अनावश्यक विलम्ब हेतु अनुशासनिक कार्यवाही करने का अथवा स्थिति अनुसार आपराधिक काण्ड दर्ज करने का विकल्प भी खुला है। किसी भी परिस्थिति में कर्त्तव्य पर उपस्थित कर्मी का वेतन ज्यादा अवधि तक रोक कर रखना विधि–सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः किसी सरकारी कर्मी के स्थानान्तरण में विरमन के पश्चात एक माह के अन्दर अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही सुनिश्चित किया जाये कि वेतन मात्र अनुपस्थित अवधि के लिए ही धारित रहे एवं कर्मी के कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के एक माह की अवधि में धारित वेतन के मामलों का निपटारा किया जाय। किसी अन्य आधार पर धारित वेतन के कारण का निपटारा 2 (दो) माह की अवधि में कर, धारित वेतन को मुक्त किया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–2/11–14–01–2021/751 **पटना, दिनांक–** 02/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. सभी महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित)/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2/8/2021

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना